Recruitment through various channels in EIL

*466. SHRI BHAGAT RAM MANHAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2397 given in the Rajya Sabha on the 16th March, 2000 and state:

(a) Whether Engineers India Limited have been fulfilling their manpower requirement through numerous channels; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) EIL has two channels of recruitment to fulfil their manpower requirement against vacancies, as per the following:—

1. Direct Recruitment
   (i) For Non-Executives-
   - Employment exchange along with advertisements in newspapers;
   - Absorption of draftsman apprentices.

   (ii) For Executived-
   - Campus interviews at select institutes;
   - Advertisemen s in newspapers;
   - Deputation from Government/public sector undertakings;
   - Sponsorship by Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Director General of Resettlement etc.
2. By promotion/selection from amongst the existing employees of the Company.

श्री भगतराम मनहर: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में दो प्रकार की सीधी भर्ती का उल्लेख किया है, गैर कार्यकारी पदों के लिए और कार्यकारी पदों के लिए जो कि विभिन्न माध्यमों से होती है। लेकिन इसमें मंत्री महोदय ने इस माध्यम का उल्लेख नहीं किया है जो कि ई.आई.एल. के पदाधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या

एन.जी.कान्स मुम्बई, डी.आई.सर्विसिज़ दलाल कन्सलटेंट और लस्कर जैसी एजेंसियों के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती की गयी है या नहीं? यदि हां तो उसके विवरण क्या हैं? क्या यह सही है कि ये एजेंसियां भूतपूर्व अधिकारी चला रहे हैं?

श्री राम नाईक: सभापति जी, सामान्यत: किस पद्धति से रिक्रूटमेंट होता है, उसकी जानकारी इसमें दी है। उन्होंने कोई एक फर्म का नाम लिया है जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। महोदय, कई सालों से परम्परागत पद्धति से रिक्रूटमेंट होता है। विशेषतया यह इंजीनियर्स कन्सलटेंसी सर्विस है। जैसी दूसरी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उस प्रकार से यह नहीं है। कन्सलटेंसी सर्विस होने के कारण वहां पर योग्य अधिकारी होने जरूरी हैं, योग्य लोगों का मिलना जरूरी है इसलिए यह कोशिश की जाती है कि अलग-अलग इंजीनियरिंग कॉलेजिज़ में जाकर वहां से अच्छे विद्यार्थियों को चुना जाए। उन विद्यार्थियों को पहले एक साल के लिए मेनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है और उसके बाद जो उपयुक्त होते हैं, उनको काम पर लिया जाता है। इस प्रकार की पद्धति है। जहां तक कन्सलटेंसी फर्म का उन्होंने उल्लेख किया, उसकी जानकारी लेकर मैं उनको बाद में बता दूंगा।

श्री भगत राम मनहर: सर, जिस कन्सलटेंसी सर्विस का मैंने जिक्र किया है, उसमें अधिकतर सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है, क्योंकि वह उस डिपार्टमेंट के अधिकारी रह चुके हैं, इसलिए वहां उनका वर्चस्व होता है और वह जिसको चाहे, जो सलाह देते हैं। क्योंकि वह उनके अंडर काम करने वाले अधिकारी होते हैं, इसलिए उनकी बात को उन्हें मानना पड़ता है। महोदय, इस समय लगभग 300 ठेका कर्मचारी पांच-सात साल से काम कर रहे हैं और इनकी उम्र अब तीस साल से ऊपर हो गयी है और यह अब एज बार हो गये हैं। रेल मंत्रालय ने हाल ही में लाखों ठेका कर्मचारियों को नियमित किया है और संचार मंत्रालय भी ठेका कर्मचारियों को नियमित करने जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां 4000 कर्मचारियों को ई.आई.एल. रोजी भत्ता दे रहा है, तो इन तीन सौ ठेका कर्मचारियों को नियमित करने में क्या कठिनाई आ रही है और इन्हें भविष्य में नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री राम नाईक: सभापति जी, इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड जो काम करता है, उसे समझना थोड़ा आवश्यक है। अलग-अलग जगह पर प्रोजैक्ट्स बनते रहते हैं। उन प्रौजैक्ट्स में टैक्नीकल सर्विस के बारे में जानकारी देने का काम यह कम्पनी करती है इसलिए जहां-जहां बड़े प्रौजैक्ट्स होते हैं, वहां पर वे अधिकारी कन्सलटेंसी का काम करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। उस प्रोजैक्ट का काम पूरा होने के बाद अगर उनको कोई दूसरा काम मिले तब हो सकता है। अत: इसमें दो प्रकार से रिक्रूटमेंट होता है। एक तो परमानेन्ट काम के लिए, जो आवश्यक होता है वह अरौ दूसरा जब कोई प्रोजैक्ट निकलता है तो उस प्रोजैक्ट पर काम करने के लिए अधिक लोग लगते हैं और उनकी बाकायदा तीन साल के लिए, पांच साल हे लिए-जिस पच्कार का काम हों, उस आधार पर नियुक्ति की जाती है। इसलिए अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण कई लोगों को लिया है,

बाद में उनको सर्विस में लेना कठिन हो जाता है। महोदय, रेलवे की और इसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रेलवे में तो मिलियन्स ऑफ इम्पलॉइज़ हैं और यहां ऐक्ज़ीक्यूटिव तथा नॉन ऐक्ज़ीक्यूटिव दोनों मिलाकर 3,774 इम्पलॉइज़ काम करते हैं। इसलिए ऐसे कामों में ऐबजॉर्ब करने की जो क्षमता रेलवे की है, वह क्षमता इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नहीं है।

श्री मोहम्मद आज़म खान: महोदय, मंत्री जी ने अभी अपने बयान में ठेकेदारी प्रथा की शुरूआत की है। एकतरफ तो हमारी जो लेबर पॉलिसी है, उसमें हम मानकर चलते हैं कि देश में या प्रदेश में जहां भी ठेकेदारी प्रथा पर काम होता है, इसे प्रथा मानकर ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। मज़दूर चाहे किसी भी स्तर का काम करने वाला हो, वह मजदूर कहलाएगा, चाहे वह इंजीनियर हो, जे.ई. हो, टर्नर हो या सामान ढोने वाला हो। बुनियादी चीज़ है, ठेकेदारी प्रथा को देश से खत्म करना, जो आज़ादी के बाद फैक्ट्रीज़ में और गरीबों के अंदर एक लानत के तौर पर रही है। सरकारें वायदे भी करती रहीं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी लेकिन अभी आपने बतलाया कि जो कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो बजाय इसके कि हम रेग्युलर रिक्रूटमेंट करें, हम तीन या पांच साल का ठेका उनको दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से यह बैकडोर से पढ़े-लिखे लोगों को बंधुआ मज़दूर बनाने का और ठेकेदारी प्रथा को शुरू करने का एक तरीका है। क्या इसे खत्म करने पर आप विचार करेंगे?

श्री राम नाईक: सभापति जी, इसको समझने में थोड़ा अंतर हो रहा है। यह जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, उसको ठेका मिलता है कि आपको यहां पर जाना है, समुद्र में जाकर आपको ड्रिलिंग करनी है। तो ड्रिलिंग करने के लिए जो डिज़ाइन है, जो इंजीनियरिंग मार्गदर्शन है, उसको करने का काम वे करते हैं। इसमें ठेकेदार तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड खुद है और वे इस काम को लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड खुद इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, वह दूसरे के प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी सर्विस के तौर पर काम कारता है।...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद आज़म खान: मंत्री जी, मेरा कहना यह है क आप चाहे ठेकेदार से काम लें ...मेरा कहना यही है कि आपटडथ यह बैकडोर से काम ले रहे हैं। आप ठेकेदार के ज़रिए काम ले रहे हैं, ठेकेदार किस लेबर को लगा रहा है, जितना मैनपावर लग रहा है, उसी को तो खत्म करना है। उसी ठेकेदारी प्रथा को तो खत्म-करने का संकल्प है और वही नहीं हो पा रहा है।

श्री राम नाईक: नहीं, यह ठेकेदारी की प्रथा नहीं है। हमको काम करने के लिए कहीं से कांट्रेक्ट मिल रहा है और जब तक वह कांट्रेक्ट है, उसको पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जब इनको लिया जाता है तो ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं। जब इनको कांट्रेक्ट पर लिया जाता है तब इनको बताया जाता है कि दो या तीन साल के लिए कांट्रेक्ट है और तब इनको तनख्वाह भी जो रेग्युलरॉइज़ की तनख्वाह होती है, उनसे अधिक दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनकी तनख्वाह कम होती है। वे यह जानकर आते हैं कि यह तो कंसल्टेंसी सर्विस है। जब कंसल्टेंसी का काम ही नहीं होगा

तो इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, इस प्रकार का काम कंसल्टेंसी सर्विस में नहीं हो सकता है। इसलिए जो कांट्रेक्ट पर लेबर हैं, उनको परमानेंट करना संभव नहीं है।.....(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद आज़म खान पहले तो ज़िंदगी भर की गुलामी होती थी, अब तीन साल की होती है।

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने ठीक ही कहा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दूसरे लोग कांट्रेक्ट देते हैं लेकिन वे अपना कांट्रेक्टर भी रखते हैं, क्योंकि वे डायरेक्ट काम नहीं कराते हैं। वे ठेकेदार लगाते हैं और ठेकेदार पैटी ठेकेदार लगाता है और पैटी ठेकेदार फिर तीसरा ठेकेदार लगाता है। ठेकेदार मज़दूरों को उनके परमानेंट या टेम्पोरेरी जो भी काम हैं, तो उनके अपने इंक्रीमेंट्स को उसी काम के लिए जो तनख्वाह और सुविधा मिलती है, क्या ठेकेदार, पैटी ठेकेदार और मज़दूर को भी वही सुविधा मिलती है, क्योंकि काम तो एक ही है, केवल हमें यह बता दीजिए?

श्री राम नाईक: सभापति जी, इसमें जिनको हम आम तौर पर छोटा मज़दूर कहते हैं, ऐसे छोटे मज़दूरों का इसमें कोई काम ही नहीं होता है। अब ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि एक या दो पियोन लगे होंगे लेकिन साईट पर जाकर काम करना होता है और ये सारा इंजीनियरिंग का काम करते हैं। वे खुद ड्रिलिंग या इस प्रकार का कोई काम खुद नहीं करते हैं, वे खाली इंजीनियरिंग सर्विस देते हैं। इसलिए मोटे तौर पर जो कहा जाता है कि कांट्रेक्टर ऐसे ही अनट्रेंड लोगों को नौकरी पर रखते हैं, इस प्रकार का काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में नहीं होता है।

Implementation of report of Bachhawat and Manisana Wage Board

*467. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether recommendations of the Bachhawat Wage Board and Manisana Wage Board Reports were accepted by Government for implementation;

(b) if so, date of submission of such report, recommendations accepted, date of issue of notification and implementation status of each recommendation in various States and Union Territories; and

(c) the reasons for non-implementation of such report in Assam and targeted action contemplated to ensure its early compliance?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATTYA): (a) and (c) A statement is laid on the Table of the house.